

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक: एफ.10(क)()गठन / श्रेणी / डीएलबी. / 16/4/72

दिनांक 2/6/16


अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2009) की धारा 3 सहपठित धारा 329 एवं अधिसूचना सं.पं.8(ग)()नियम / श्रेणी / एलएसजी / 12 / 3825-4090 दिनांक 30.04.12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम क्षेत्रों को एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है।

क्र.सं.	जिला	ग्राम का नाम	नवगठित चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका
1.	दौसा	01. महवा 02. ठेकडा 03. धन्तूरी 04. नयागांव 05. बरीतकी 06. हडिया 07. अलापुर 08. रामगढ़ 09. शहदपुर 10. पाली 11. अमोलकनगर 12. मोटूका 13. विराना 14. अकबरपुर	नगर पालिका महवा

उक्त ग्रामों की विधमान सीमाए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाए रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (पुष्टम वियाणी)
Director of Local Self Govt. Department
Raj. Jaipur

क्रमांक: एफ.10(क)गठन / श्रेणी()डीएलबी./ 16/4173-4464 दिनांक 216/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राज.सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, मा० मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग / पंचायत राज० जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज० जयपुर।
06. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज० जयपुर।
07. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को पंचायत विभाग से पृथक कराने का श्रम करे।
08. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि नवनिर्मित नगरपालिका महवा के संचालन / प्रबन्ध हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज० जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर, दौसा।
12. महापौर / सभापति / अध्यक्ष / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम / परिषद / पालिकाए राज।
13. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
15. समस्त अधिकारीगण निदेशालय एवं उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय समस्त राज०।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
17. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज.राजपत्र में शीघ्र प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु।
18. समस्त अनुभाग, निदेशालय।
19. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, महवा।
20. विकास अधिकारी / संरपच / सचिव, पंचायत समिति महवा जिला दौसा।
21. संरपच / सचिव, ग्राम महवा, ठेकड़ा, धन्तूरी, नयागांव, बरीतकी, हडिया, अलापुर, रामगढ़, शहदपुर, पाली, अमोलकनगर, मोटूका, विराना, अकबरपुर।
22. नोडल अधिकारी, बेवसाईट, निदेशालय को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी